...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **शैतान सिंह बनाम मु. गोदी** 34 / 04	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.18	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपील में वर्णित आराजीयात बाबत गांव के व समाज के पॉच प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पक्षकारान को आपस में बैठाकर व समझाकर पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति में राजीनामा करा दिया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहते है बल्कि अपील को विड्रो करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन अपील को लोक अदालत की मंशा से विड्रो करते हुए खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें एवं अपील को दाखिल दफ्तर किये जाने के आदेश प्रदान करें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने भी अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील को विड्रो करने के कारण अपील खारिज करने में अपनी सहमति दी। हमने पत्रावली का अलवोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट्स स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहते तथा अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया है। ऐसी स्थिति मे अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील को आगे नही चलाये जाने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (राजेश्वर सिंह) संभागीय आयुक्त जयपुर संभागीय आयुक्त जयपुर	